(9)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2006/अग्रहायण 22, 1928
No. 185] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2006/AGRAHAYANA 22, 1928

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2006

सं. एल-7/25(8)/2004-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2004, जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2006 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **अनसूची का संशोधन** : मूल विनियम की फीस संरचना से संबंधित अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची
फीस संरचना

क्रम सं0	आवेदन का नाम	फीस (रुपए में)
1.	उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन	25 लाख
2.	पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन	5 लाख
3.	कोई अन्य आवेदन, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन को छोड़कर किन्तु इसमें अनंतिम टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन सम्मिलित है ।	1 लाख
4.	अंतर्वर्ती आवेदन	20,000/-

5.	न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन	500/- प्रति दिन
6.	न्यायिक अभिलेखों के भागरूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन	10/- प्रति पृष्ठ

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/IV/150/2006/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम तारीख 22.7.2004 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे ।